

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD**

RBA No. ---
GST Circular No. 19/2020

No. 2018/AC-II/1/11/GST References

27th March, 2020

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units and Director/Finance /CRIS

Sub :- Reconciliation process of Purchase invoices with 2A

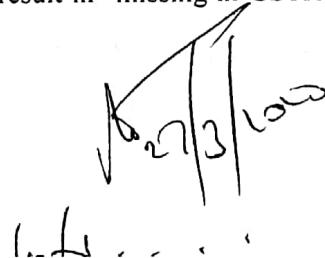
This has reference to the Video-Conference held on 19/03/2020 with Railway units regarding reconciliation of Purchase invoices with 2A.

A. Two specific instances were deliberated in detail:

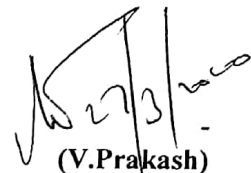
- i. In some cases either Supplier has clubbed the invoices while filing his returns or the Railways have done the same during Bill Passing. It was further deliberated that in such invoice clubbing cases, the GST paid by the supplier can accepted by Velocis as there is no leakage of revenue and the tax has been remitted to the Government.
- ii. Different invoices are processed in IPAS separately i.e. one with 90% amount and another one with 10% amount. Zonal Railways are unable to reconcile and match these invoices.

B. As a short-term measure, before the close of FY, following procedure is laid down:

- i. In the edit module of IPAS where all Mismatched invoices are populated, IPAS will provide another field where units will mention "To be considered in ASP" against each such transaction IDs dealing with transactions mentioned above vide para A. .
- ii. Units must prepare a report of all such transaction IDs as at i. above along with date, taxable amount and taxes as captured in IPAS data linking it to the details of GSTR 2A data specifying the invoice no, taxable amount, date of invoice and taxes. This report may be forwarded to GST cell of HQ.
- iii. Based on this report, GST cell of HQ will access the ASP tool as per their authorized IDs. They may log on to **ASP portal**, select "**Missing in Purchase**" category, click on "**filed green CFS**" button.
- iv. **Select individual invoices** for which action is required and click on "**Pending**" option in the ASP tool.
- v. GSP will consider all invoices clicked as pending as matched for consideration of 3B returns in hand.
- vi. IPAS will retain all these transactions marked "To be considered in ASP" as matched data so that same is not forwarded to the GSP, else this may result in "missing in GSTR 2A/duplicate invoices.



All the Zonal Railways and Production Units may kindly take necessary action as mentioned above. In case of any clarification CRIS may be approached. This issues with the approval of competent authority.



(V.Prakash)
Jt. Director/Accounts
Railway Board

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. -----
जीएसटी परिपत्र सं. 19/2020

सं. 2018/एसी-II/1/11/जीएसटी रेफरेंस

27 मार्च, 2020

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां और निदेशक/वित्त/क्रिस

विषय :- 2ए के साथ क्रय बीजकों की प्रक्रिया का मिलान

यह 2ए के साथ क्रय बीजकों के मिलान के संबंध में 19/03/2020 को रेलवे इकाइयों के साथ हुई वीडियो-कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में है।

क दो विशिष्ट उदाहरणों पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था:

- i. कुछ मामलों में या तो आपूर्तिकर्ता ने अपनी रिटर्न भरते समय बीजकों को इकट्ठा कर दिया था अथवा रेलवे द्वारा बिल पास करते समय ऐसा किया गया। इस पर पुनः विचार किया गया था कि बीजकों को इक्छा करने के ऐसे मामलों में, आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी को Velocis द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, चूंकि इससे राजस्व की क्षति नहीं हो रही है और कर सरकार को प्रेषित किया गया है।
- ii. विभिन्न बीजकों को आईपीएस में अलग से परिष्कृत किया गया है अर्थात् एक को 90 प्रतिशत राशि के साथ और दूसरे को 10 प्रतिशत राशि के साथ। क्षेत्रीय रेलें इन बीजकों को सही करने और मिलान करने में असमर्थ हैं।

ख वित्त वर्ष समाप्त होने से पूर्व एक अल्पकालिक उपाय के रूप में निम्नलिखित कार्यपद्धति निर्धारित की गई है:

- I. आईपीएस के एडिट मॉड्यूल में, जहां ऐसे बेमेल बीजकों की अधिकता है, आईपीएस अलग फील्ड उपलब्ध कराएगा, जहां इकाइयां उपर्युक्त पैरा क में ऊपर उल्लिखित लेन-देन का निपटान करने वाली ऐसी प्रत्येक संव्यवहार आईडी के सामने "एसपी में विचार किया जाना है" का उल्लेख करेंगी।
- II. इकाइयां तारीख, कर-योग्य राशि और आईपीएस डाटा में यथा अभिग्रहित करों के साथ ऐसी सभी संव्यवहार आईडी की एक रिपोर्ट तैयार करें, जैसा उपर्युक्त I में उल्लेख किया गया है और बीजक संख्या, कर-योग्य राशि, बीजक तथा करों की तारीख का उल्लेख करते हुए इसे जीएसटीआर 2ए डाटा के विवरण के साथ जोड़ें। इस रिपोर्ट को मुख्यालय के जीएसटी सेल को अग्रेषित किया जाए।
- III. इस रिपोर्ट के आधार पर, मुख्यालय का जीएसटी सेल अपनी प्राधिकृत आईडी के अनुसार एसपी टूल तक पहुंचेगा। वे एसपी पोर्टल पर लॉग ऑन करें, "Missing in Purchase" कोटि का चयन करें, "filed green CFS" बटन पर क्लिक करें।
- IV. व्यक्तिगत बीजकों को चयन करें, जिनके लिए कार्रवाई अपेक्षित है और एसपी टूल में "Pending" विकल्प पर क्लिक करें।
- V. जीएसपी, पेंडिंग के रूप में क्लिक किए सभी बीजकों पर विचार करेगा, जैसाकि प्राप्त 3बी रिटर्न पर विचार करने के लिए मिलाया जाता है।
- VI. आईपीएस इन सभी लेन-देन को रखेगा, जिन्हें मिलाए गए डाटा के रूप में चिह्नित "एसपी में विचार किया जाना है" किया गया है ताकि इसे जीएसपी को अग्रेषित न किया जाए, अन्यथा इससे "मिसिंग इन जीएसटीआर 2ए/डुप्लीकेट बीजकों" का परिणाम प्राप्त होगा।

कृपया सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां ऊपर दिए गए अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए क्रिस से संपर्क किया जाए। इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।



(वी. प्रकाश)

संयुक्त निदेशक/लेखा

रेलवे बोर्ड